भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1565

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

नदियों में संदूषण

1565. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पूरे देश में नदियों के संदूषण स्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार नदियों में उक्त स्तर को कम करने में सफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी नदियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में नदियों तथा अन्य जलाशयों के जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर, सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर नदियों के प्रदूषण का आकलन किया गया है। सीपीसीबी द्वारा सितंबर 2018 में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जैविक प्रदूषण के एक प्रमुख संकेतक जैव-रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 323 नदियों पर 351 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई थी।

वर्ष 2018 के दौरान चिन्हित 351 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) में से 180 में पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। **अनुलग्नक-I** में दिए गए विवरण के अनुसार इन 180 पीआरएस में से 106 नदी खंड प्रदूषित खंडों की सूची से बाहर आ गए हैं तथा **अनुलग्नक-II** में दिए गए विवरण के अनुसार शेष 74 निम्न प्राथमिकता श्रेणी में स्थानांतरित हो गए है। सीपीसीबी द्वारा 2019 और 2021 के लिए 279 नदियों पर की गई जल गुणवत्ता निगरानी के अनुसार, 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246) के अनुसार, 'जल' राज्य का विषय है, और यह राज्यों/संघ शासित राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में नदियों की स्वच्छता और विकास सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय गंगा बेसिन में नदियों के लिए नमामि गंगे की केंद्रीय सेक्टर योजना तथा अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित खंडों में प्रदूषण उपशमन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद कर रहा है। एनआरसीपी के तहत कच्चे सीवेज का अवरोधन और मोड़, सीवरेज सिस्टम का निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना, कम लागत वाली स्वच्छता, रिवर फ्रंट/स्नान घाट विकास आदि से संबंधित कार्य किए जाते हैं।

एनआरसीपी ने अभी तक देश के 16 राज्यों में फैले 80 कस्बों में 36 नदियों पर 78 प्रदूषित खंडों को 6,248.16 करोड़ रूपए की परियोजना स्वीकृत लागत के साथ शामिल किया है, और 2,745.7 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 5,270 एमएलडी के सीवेज उपचार और 5,214 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क के लिए 176 परियोजनाओं सहित 406 परियोजनाओं को 32,898 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है जिसके मुकाबले अभी तक 1,858 एमएलडी की सीवरेज उपचार क्षमता सृजित की जा चुकी है। सृजित सीवेज उपचार क्षमता के परिणामस्वरूप विभिन्न नदियों में छोड़े जा रहे प्रदूषण भार में कमी आई है।

इसके अलावा, आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज बुनियादी अवसंरचना सृजित की जाती है।

नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट प्रवाह मानकों की अधिसूचना जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के लिए मानदंडों में संशोधन करना और सभी एसपीसीबी/पीसीसी को इसे अपनाने के लिए निर्देश जारी करना, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा संचालित करने के लिए स्थापना/सहमति सहमति जारी करना, व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर समय-लक्षित कार्य योजनाओं के माध्यम से आवश्यक उपाय करने के लिए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान, सीपीसीबी द्वारा अनुपालन सत्यापन के लिए गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के नियमित निरीक्षण, प्रवाह की गुणवत्ता और अनुपालन स्थिति के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना शामिल हैं। इसके अलावा, उद्योगों को तकनीकी प्रगति,

अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग/पुनर्चक्रण द्वारा अपने अपशिष्ट जल उत्पादन को कम करने तथा जहाँ भी संभव हो शून्य तरल प्रवाह (जेडएलडी) बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को नदी और जलाशयों में प्रवाह से पहले अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)/सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित करने और उनके अपशिष्ट/सीवेज के उपचार के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

इसके अलावा, देश में प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को, उनके अधिकार क्षेत्र में सीपीसीबी द्वारा चिन्हित तथा 2018 की रिपोर्ट में प्रकाशित प्रदूषित खंडों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में तथा केंद्रीय स्तर पर भी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

*****

'नदियों में संदूषण' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1565 जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2019 तथा 2021 के दौरान मॉनिटर किए गए डेटा के आधार पर 351 पीआरएस (वर्ष 2018 के दौरान चिन्हित) की सूची से हटाए गए 106 पीआरएस की राज्यवार सूची

क्र. सं	राज्य	नदी	खंड	वर्ष 2018 के दौरान प्राथमिकता वर्ग
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी	रायनपेटा से राजमुंदरी	V
2.		कृष्णा	अमरावती से हमसला देवी	V
3.		कुंडू	नांदयाल से मद्दुरु	IV
4.		नागवली	थोटापल्ली के किनारे	V
5.		तुंगभद्रा	मन्त्रालयम से बावापुरम	IV
6.	असम	बराक	पंचग्राम से सिलचर	V
7.		बरोई	एनएच-52 पर पुल का डाउनस्ट्रीम	V
8.		बेकी	बारपेटा रोड से ज्योति गांव	V
9.		भोगदोई	जोरहाट से दुलियागांव	V
10.		बोगिनदी	लखीमपुर से डिब्रूगढ़	V
11.		बोर्सोला	सरभट्टी के किनारे, गुवाहाटी	I
12.		ब्रह्मपुत्र	खेरघाट से धुबरी	IV
13.		दिखो	नागिनी मोरा से दिखोमुख	V
14.		डिकरोंग	बंडारदेवा के किनारे	V
15.		डिसांग	दिल्लीघाट से गुंडमघाट	V
16.		गबरू	तुमियुकी, सोनितपुर के किनारे	V
17.		झांजी	जोरहाट से चावडांग	V
18.		जिया भराली	सोनितपुर के किनारे	V
19.		कपिलि	नागांव से कामपुर टाउन	V
20.		किलींग	मोरगांव के किनारे	V
21.		कोहोरा	कोहोरा से मोहपारा	V
22.		कोलोंग	नागांव से मोरी कलोंग	V
23.		पंचनई	ओरंग से बोरसला	III
24.		पुथिभारी	पुथिमारी के किनारे	V
25.		रंगा	गेरामुख के किनारे	V
26.		संकोश	गोलकगंज के किनारे	V
27.		सोनाई	सोनाई से दक्षिण मोहनपुर	V
28.	गोवा	असोनोरा	असोनोरा से सिरसैम	V
29.		बिचोलिम	बिचोलिम से कुरचिरेम	V
30.		चपोरा	पेरनेम से मोरजिम	V
31.		सिंक्वेरिम	कैंडोलिम के किनारे	V

32.		तालपोना	कैनाकोना के किनारे	IV
33.		तिराकोल	तिराकोल के किनारे	V
34.		वाल्वंट	संकली - बिचोलिम से पोरीम	V
35.	गुजरात	अमरावती	ददहल, अंकलेश्वर के किनारे	IV
36.	गुजरात	अनस	दाहोद से फतेहपुरा	V
37.	गुजरात	बालेहवर खादी	पांडेसरा से कपलेथा	V
38.	गुजरात	किम	साहोल पुल से हंसोल	V
39.	गुजरात	कोलाक	किकरला से साल्वाव	IV
40.	गुजरात	मेशवा	शामलाजी के किनारे	V
41.	गुजरात	नर्मदा	गरुड़ेश्वर से भरूच	V
42.	गुजरात	त्रिवेणी/ हिरण	त्रिवेणी संगम से बदलपारा	III
43.	हिमाचल प्रदेश	व्यास	कुल्लू से देहरागोपीपुर	V
44.	जम्मू और कश्मीर	चिनाब	जल पाटन से परगवाल	V
45.	जम्मू और कश्मीर	सिंध	दुदरहामा के किनारे	V
46.	झारखंड	कोनार	तिलया और कोनार के किनारे	V
47.	झारखंड	नलकारी	पतरातू के किनारे	V
48.	झारखंड	शंख	कोंगसेराबसर से बोलबा	IV
49.	कर्नाटक	काली	हसन माड़ (वेस्ट कोस्ट पेपर मिल) से बोम्मनहल्ली जलाशय	IV
50.	कर्नाटक	कुमारधारा	उप्पिनगडी के किनारे	V
51.	कर्नाटक	मालप्रभा	खानापुर से धारवाड़	III
52.	कर्नाटक	यागाची	यागाची के किनारे, हसन	V
53.	केरल	भरतपूज़ा	पटांबी के किनारे	IV
54.	केरल	भवानी	एलाचिवाज़ी के किनारे	V
55.	केरल	करुवन्नुर	करुवन्नूर के किनारे	V
56.	केरल	कव्वाई	कव्वाई के किनारे	V
57.	केरल	कीचेरी	पुलियान्नोर से केचेरी	IV
58.	केरल	कुप्पम	थालीपरम्बा से वेलीचांगूल	V
59.	केरल	कुट्टीयाडी	कुट्टीयाडी के किनारे	V
60.	केरल	मोगरल	मोगरल के किनारे	V
61.	केरल	पेरुवम्बा	पेरुवम्बा के किनारे	V
62.	केरल	पुझकल	ओलारिक्कारा से पुझकल	V
63.	केरल	रामपुरम	रामपुरम के किनारे	V
64.	मध्य प्रदेश	चौपन	विजयपुर के किनारे	V
65.	मध्य प्रदेश	गोहद/ वैशाली	गोहद बांध से गोरमी	IV
66.	मध्य प्रदेश	कटनी	कटनी के किनारे	V
67.	मध्य प्रदेश	कोलार	सूरजनगर से शिर्डीपुरम	IV
68.	मध्य प्रदेश	सिमरर	कटनी के किनारे	V
69.	मध्य प्रदेश	टोंस	चाकघाट से छप्पर	V

70.		वैनगंगा	छिंदवाड़ा से बालाघाट	V
71.	महाराष्ट्र	पंचगंगा	शिरोल से कोल्हापुर	V
72.	मिजोरम	मैट	सेरचिप के किनारे	V
73.		साइकाह	लॉगटलाई के किनारे	V
74.		टीआयु	चम्फाई के किनारे	III
75.		तवांग	ज़ोबाक के किनारे, सैरांग से बैराबी तक	IV
76.		तुइपुई	चम्फाई के किनारे	IV
77.		तुइरियल	तुइरियाल के किनारे, आइज़ल	V
78.		तुइवाल	केफांग के किनारे	IV
79.	नगालैंड	चाथे	मेदजिफेमा से दीमापुर	IV
80.		जुचा	कोहिमा के किनारे	V
81.	ओडिशा	भेडेन	भेडेन के किनारे	V
82.		बुधबलंगा	महुलिया से बारीपदा	V
83.		कुसुमी	अंगुल तालचर के किनारे	V
84.		महानदी	संबलपुर से पारादीप	V
85.		नागावली	जयकयपुर से रायगढ़	V
86.		नंदिराझोर	डी/एस तालचर	III
87.		नूना	बीजीपुर के किनारे, पुरी	V
88.		रत्नाचिरा	भुवनेश्वर के किनारे, पुरी	V
89.		रुशिकुल्या	प्रतापपुर से गंजम	V
90.		सबुलिया	जगन्नाथपटना के किनारे, रंभा	V
91.	पुदुचेरी	अरसालार	कराईकल के किनारे	IV
92.	पंजाब	व्यास	मुकेरियां के किनारे	V
93.	सिक्किम	माने खोला	एडमपूल टू बर्टुक	V
94.		रंगित	बांध स्थल (एनएचपीसी) से त्रिवेणी तक	V
95.		रानीचू	नामली से सिंगतम	V
96.		तीस्ता	मेली से चुंगथांग	V
97.	त्रिपुरा	बुरिगांव	बिशालगढ़ के किनारे	V
98.		गुमटी	तेलकाजिला से अमरपुर	V
99.		जूरी	धर्मनगर के किनारे	V
100.		खोवाई	तेलियामुरा के किनारे	V
101.		मनु	कैलाशहर के किनारे	V
102.	उत्तराखंड	गंगा	हरिद्वार से सुल्तानपुर	IV
103.	पश्चिम बंगाल	कलजानी	बिटाला से अलीपुरद्वार	V
104.		करोला	जलपाईगुड़ी से ठाकुरेर कामत	V
105.		मयूरक्षी	सूरी से दुर्गापुर	V
106.		सिलबटी	घाटाल से निश्चिंदीपुर	V

*****

'नदियों में संदूषण' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1565 जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2018 के चिह्नित खंडो से कम प्राथमिकता वाले वर्ग में स्थानांतरित किए गए 74 प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की राज्यवार सूची

क्र.स.	**नदी**	**राज्य**	**वर्ष 2018 के दौरान प्राथमिकता वर्ग**	**वर्ष 2022 के दौरान प्राथमिकता वर्ग**
1	गोदावरी	महाराष्ट्र	I	II
2	मुला	महाराष्ट्र	I	II
3	साराबंगा	तमिलनाडु	I	II
4	सुस्वा	उत्तराखंड	I	II
5	विंधाधारी	पश्चिम बंगाल	I	II
6	दमनगंगा	दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	I	III
7	कर्मणा	केरल	I	III
8	क्षिप्रा	मध्य प्रदेश	I	III
9	कुंडलिका	महाराष्ट्र	I	III
10	मोरना	महाराष्ट्र	I	III
1 1	निरा	महाराष्ट्र	I	III
12	धनसिरी	नगालैंड	I	III
13	कावेरी	तमिलनाडु	I	III
14	कालू	महाराष्ट्र	I	IV
15	वेल	महाराष्ट्र	I	IV
16	भोगवो	गुजरात	I	V
17	इंद्रायणी	महाराष्ट्र	II	III
18	वैनगंगा	महाराष्ट्र	II	III
19	वर्धा	महाराष्ट्र	II	III
20	नक्कावागु	तेलंगाना	II	III
21	किच्छा	उत्तराखंड	II	III
22	देविका	जम्मू और कश्मीर	II	IV
23	बेतवा	मध्य प्रदेश	II	IV
24	नम्बुल	मणिपुर	II	IV
25	मारकंडा	हिमाचल प्रदेश	II	V
26	मंजीरा	तेलंगाना	II	V
27	बाणगंगा	जम्मू और कश्मीर	III	IV
28	तुंगभद्रा	कर्नाटक	III	IV
29	सोन	मध्य प्रदेश	III	IV
30	मोर	महाराष्ट्र	III	IV
31	पेढ़ी	महाराष्ट्र	III	IV
32	पेनगंगा	महाराष्ट्र	III	IV

33	पूर्णा	महाराष्ट्र	III	IV
34	उर्मोदी	महाराष्ट्र	III	IV
35	वेन्ना	महाराष्ट्र	III	IV
36	वेना	महाराष्ट्र	III	IV
37	गंगा	पश्चिम बंगाल	III	IV
38	डिगबोई	असम	III	V
39	साल	गोवा	III	V
40	लक्ष्मणतीर्थ	कर्नाटक	III	V
41	कोलार	महाराष्ट्र	III	V
42	जूना	नगालैंड	III	V
43	कथाजोड़ी	ओडिशा	III	V
44	कारकावागु	तेलंगाना	III	V
45	द्वारका	पश्चिम बंगाल	III	V
46	खरसंग	असम	IV	V
47	पगल्डिया	असम	IV	V
48	हसदेव	छत्तीसगढ	IV	V
49	महानदी	छत्तीसगढ	IV	V
50	मांडोवी	गोवा	IV	V
51	दमन गंगा	गुजरात	IV	V
52	तापी	गुजरात	IV	V
53	गवकादल	जम्मू और कश्मीर	IV	V
54	गर्ग	झारखंड	IV	V
55	कावेरी	कर्नाटक	IV	V
56	काबिनी	कर्नाटक	IV	V
57	कागिना	कर्नाटक	IV	V
58	कृष्णा	कर्नाटक	IV	V
59	कदंबयार	केरल	IV	V
60	मणिमाला	केरल	IV	V
61	पम्बा	केरल	IV	V
62	तापी	मध्य प्रदेश	IV	V
63	बिंदुसार	महाराष्ट्र	IV	V
64	बोड़ी	महाराष्ट्र	IV	V
65	हिवारा	महाराष्ट्र	IV	V
66	खरखला/किरुखला	मेघालय	IV	V
67	नोनबाह	मेघालय	IV	V
68	उमत्रेयु	मेघालय	IV	V
69	जू	नगालैंड	IV	V
70	काली बेन	पंजाब	IV	V
71	भवानी	तमिलनाडु	IV	V
72	किन्नरसानी	तेलंगाना	IV	V
73	गंगा	उत्तर प्रदेश	IV	V
74	दामोदर	पश्चिम बंगाल	IV	V

*****